



आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)

प्रथम तल उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email md@idabihar.com Web-www.idabihar.com Phone/ 0612-2675933, 2675935 Fax: 0612-2675934

पत्रांक. 3487/PDA

08/92/Tech./IDA/22

दिनांक 19/09/25

प्रेषक,

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)
आईडीओए

सेवा में,

Pramod Kumar Singh Construction
Basa, PO Karwandiya, Sasaram
Sasaram, Rohtas- 821305
Email - parmod2664@gmail.com
Phone No.- 9006599110

E-mail & Whatsapp

विषय: Construction of Plug and Play Pre Fabricated Shed at Sikandarpur I/A, Bihta, Patna के शेड से जल रिसाव होने के संबंध में प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाये जाने के कारण Blacklist करने के संबंध में।

प्रसंग: प्राधिकार का पत्रांक 1373/PDA दिनांक 15.04.2025, पत्रांक 1426/PDA दिनांक 19.04.2025, पत्रांक 2444/PDA दिनांक 04.07.2025, पत्रांक 2670/PDA दिनांक 17.07.2025, पत्रांक 3138/PDA दिनांक 19.08.2025 एवं आपका पत्रांक शून्य दिनांक 11.07.2025, पत्रांक शून्य दिनांक 21.07.2025 एवं पत्रांक शून्य दिनांक 26.08.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित कार्य Construction of Plug and Play Pre Fabricated Shed at Sikandarpur I/A, Bihta, Patna का निर्माण कार्य आपके द्वारा कराया गया है। वर्षा के कारण आपके द्वारा निर्मित शेड से जल रिसाव के संबंध में कतिपय त्रुटियों के कारण जल रिसाव होने तथा उसके निराकरण हेतु दूरभाष के माध्यम से तथा प्राधिकार के प्रासंगिक पत्र के द्वारा निदेशित किया गया। आपके सूचित किया गया है कि Water Leakage की समस्या का निराकरण आपके द्वारा कराया गया है, लेकिन प्रबंध निदेशक महोदय के द्वारा दिनांक 16.07.2025 को Construction of Plug and Play Pre Fabricated Shed at Sikandarpur I/A, Bihta, Patna में स्थापित यूनिट के निरीक्षण के समय हुई वर्षा में कई जगहों पर पानी टपकते हुए पाया गया, जिस पर प्रबंध निदेशक महोदय के द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई। पूर्व में इस संबंध में कार्यपालक अभियंता के द्वारा त्रुटियों का निराकरण करने हेतु आपको निदेशित किया गया था। जिसे अनसुना करते हुए पूर्णरूपेण निराकरण नहीं कराया गया, जो अत्यंत खेदजनक होने के साथ-साथ आपके कार्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है।

प्राधिकार द्वारा इस संबंध में आपसे स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसके प्रत्युत्तर में आपके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को सम्यक विचारोपरांत अमान्य किया जाता है एवं Guideline for the registration of Contractors in Infrastructure Development Authority (IDA) 2009 के कंडिका 10(a) के उपकंडिका (ii) के आलोक में आपके निबंधन को अगले एक वर्ष के लिए Blacklist किया जाता है।

विश्वासभाजन

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)
१/१२